न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 08 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 19.11.2020

जरिये रमन यादव,प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
— प्रार्थी

बनाम

मै0 अशोका नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार टोंक
— अप्रार्थी

जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस,एक रबर पाईप मय नोजल एंव एक भट्टी को आवश्यक् वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—

1— पेराकार सरकार — प्रार्थी की ओर से
2— श्री विजेन्द्र गोयल, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 18.01.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में ''शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के तहत दिनांक 29.10.2020 को समय 12:10 PM पर प्रवर्तन निरीक्षक नगर पालिका क्षेत्र टोंक में स्थित मै. अशोका नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार के व्यवसायी परिसर / गौदाम बस स्टेण्ड के पास, टोंक पर आकस्मिक जॉच हेतु मौके पर पहुँचें। मौके पर श्री प्रहलाद साहू उपस्थित पाये गये जिन्होने स्वंय को मै. अशोका नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार टोंक का प्रोपराईटर बताया। मौके पर व्यवसाय परिसर / गौदाम स्थल की तलाशी लेने पर गौदाम पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई / नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 5 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप , रेगुलेटर के माध्यम से लोहे की भट्टी मय नोजल में जोडकर अवैध रूप से मिठाई बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 5 सिलेण्डर मय रबर पाईप,

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मयनोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

(सभी मात्रा कि0ग्रा0 में)

क्र0स0	एस0आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	230957	भारत गैस	14.2	15.9	15.9	0
2	559992 जे	भारत गैस	14.2	15.9	30.160	14.26
3	551188 एस	भारत गैस	14.2	15.8	15.950	0.15
4	327802 एस	भारत गैस	14.2	16.3	25.290	8.99
5	082621	भारत गैस	14.2	15.7	29.430	13.76

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः उक्त जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 37.13 Kg एलपीजी गैस पाईप मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि श्रीमान जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में ''शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के तहत दिनांक 29.10.2020 को समय 12:10 PM पर प्रवर्तन निरीक्षक नगर पालिका क्षेत्र टोंक में स्थित मै. अशोका नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार के व्यवसायी परिसर/गौदाम बस स्टेण्ड के पास, टोंक पर आकस्मिक जॉच हेतु मौके पर पहुँचें। मौके पर श्री प्रहलाद साहू उपस्थित पाये गये जिन्होने स्वंय को मै. अशोका नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार टोंक का प्रोपराईटर बताया। मौके पर व्यवसाय परिसर/गौदाम स्थल की तलाशी लेने पर गौदाम पर घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 5 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप , रेगुलेटर के माध्यम से लोहे की भट्टी मय नोजल में जोडकर अवैध रूप से मिठाई बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 5 सिलेण्डर मय रबर पाईप,

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मयनोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई/नमकीन बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है,उक्त जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 37.13 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रमेश खटीक पुत्र श्री घासीलाल निवासी गॉधी पार्क टोक को सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 37.13 Kg एलपीजी गैस पाईप मय रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 29.10.2020 के अनुसार मै0 अशोका नमकीन एण्ड मिष्ठान भण्डार टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 5 सिलेण्डर मय रेगुलेटर पाईप,रबर पाईप व गैस भट्टी सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा कि0ग्रा0 में)

क्र0स0	एस0आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	230957	भारत गैस	14.2	15.9	15.9	0
2	559992 जे	भारत गैस	14.2	15.9	30.160	14.26
3	551188 एस	भारत गैस	14.2	15.8	15.950	0.15
4	327802 एस	भारत गैस	14.2	16.3	25.290	8.99
5	082621	भारत गैस	14.2	15.7	29.430	13.76

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर सुनील,अनिल तथा प्रहलाद के

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी सुनिल,अनिल व प्रहलाद के हस्ताक्षर है। टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रमेश खटीक को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व खाध सामग्री बनाने के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 5 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 37.13 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)